

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

गृह अनुभाग-8

देहरादून : दिनांक 03 अक्टूबर, 2018

विषय-अपराध से पीडित सहायता कोष हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी-छ-858/2018 दिनांक 06.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-10 लेखाशीर्षक 2055-पुलिस-00-108-राज्य पुलिस मुख्यालय 03-अपराध से पीडित सहायता कोष के मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 2 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि 'राज्य आकस्मिकता निधि' से आहरित/स्वीकृत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तावानुसार अनुदान संख्या-10 लेखाशीर्षक 2055-पुलिस-00-108-राज्य पुलिस मुख्यालय 03-अपराध से पीडित सहायता कोष के मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 200 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) "राज्य आकस्मिकता निधि" से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत उक्त अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुपूरक आय-व्ययक में समुचित धनराशि की माँग का प्रस्ताव रखा जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि आहरित कर तत्काल पुलिस महानिदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी। जिसका व्यय उनके द्वारा सुसंगत नियमों/आदेशों/नियमावलियों के अधीन रहते हुए समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त किया जायेगा। जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को निर्धारित समय के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों तथा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथमतः लेखाशीर्षक 8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि लेखा, 201-समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या-10 लेखाशीर्षक 2055-पुलिस-00-108-राज्य पुलिस मुख्यालय 03-अपराध से पीडित सहायता कोष के मानक मद 42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 174 /मतदेय /XXVII(5)/2018 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति तथा अलाटमेन्ट आई.डी.संख्या S1810990018 दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 द्वारा जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या 15 /XXVII(1)रा.आ.नि./2018, दिनांक 01 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(सविन बंसल)
अपर सचिव, वित्त

संख्या 756 /बीस-8/2018-5(20)2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड देहरादून।
- 3- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
- 4- बजट अधिकारी, साईबर कोषागार देहरादून।
- 5- बजट अधिकारी, बजट निदेशालय सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 6- महानिदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निदेशक, N.I.C., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-5/1, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Akhil
(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव